श्री अजय वीर जाखड़ भारत कृषक समाज के पुनः निर्वाचित अध्यक्ष (2012–2017)

भारत कृषक समाज की 59वीं अखिल भारतीय कृषक परिषद् की बैठक सूचना भवन, सचिवालय के विपरित, भूवनेश्वर, उड़ीशा में 20 मार्च, 2012 को आयोजित हुई। दोपहर के सत्र में श्री मंगत सिंह खनूजा, उपाध्यक्ष भारत कृषक समाज, मध्य–प्रदेश ने श्री अजय वीर जाखड़ का नाम अध्यक्ष पद के लिऐ प्रस्तावित किया जिसका सर्मथन श्री बी.बी. रामा राव, आँध्र–प्रदेश तथा श्री बूटा सिंह बाजवा, पंजाब ने किया तथा सदन ने उनके नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

परिषद् ने अध्यक्ष को अधिकृत किया कि वह आगामि पांच वर्षों के लिऐ भारत कृषक समाज के उप–सभापतियों तथा शासकीय समिति के सदस्यों को मनोनित करें।

संपादकीय :

बजट 2012–13 से सरकार का कृषि उत्पादन बढ़ाने के इरादे का पता चलता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बजट से किसान की स्मृद्धि में वृद्धि नहीं होगी। जब भारत के 55 प्रतिशत पेशे लाभहीन हैं, तो समावेशी विकास हमेशा मायावी रहेगा।

इसमें कृषि आधारित उद्योगों के लिए बहुत कुछ है; खाद्य प्रसंस्करण के लिऐ राष्ट्रीय मिशन, कई कृषि गतिविधियों पर सेवा कर की छूट तथा फसल के लिऐ नकद ऋण की आर्थिक सहायता। विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिऐ निजी क्षेत्र को जो कर प्रोत्साहन दिया गया है वो कृषि उत्पादकों के लिऐ एक वरदान साबित होगा। भारत में उर्वरक उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने से यहां आयातित उर्वरक पर निर्भरता को कम करने की उम्मीद है।

बजट केवल किसानों के लिऐ थोड़ा कुछ कर सकता है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है। कृषि सुधार; नीति में परिवर्तन और कृषि क्षेत्र के उदारीकरण के साथ के बिना बजट केवल बस संख्या, आंकडे और निराशा रहेगा।

ड़ॉ० एम.एस स्वामीनाथन तथा अन्य टिप्पणीकारों के बजट 2012–13 पर विचारों का अर्क और संकलन :

बजट में कुछ सकारात्मक पहलुओं विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और कृषि अनुसंधान पर ध्यान दिया गया है लेकिन यह युवाओं को खेती के लिऐ आकर्षित करने में असमर्थ रहा है।

इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने अनिवार्य रूप से पिछले दो बजट के दौरान शुरू किऐ गऐ कार्यों से मिलने वाले लाभ को मजबूत करने की कोशिश की है। इसलिऐ इस वर्ष केवल कृषि ऋण के लक्ष्य को रू. 5,75,000/– करोड़ तक बढ़ाने के अलावा कृषि में कोई नई पहल नहीं है। यह पिछले साल से रू. 1,00,000/– करोड़ अधिक है। किसानों के लिऐ 4 प्रतिशत की ब्याज दर जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय किसान आयोग ने की है उसे बनाऐ रखा गया है, केवल उन किसानों के लिऐ जो ऋण समय पर चुकाने में सक्षम हैं। क्रेड़िट पक्ष पर, किसान क्रेड़िट कार्ड के तकनीकी उन्नयन के लिऐ भी प्रस्ताव रखा गया है। इसी प्रकार, कृषि और ग्रामीण विकास के लिऐ राष्ट्रीय बैंक से संबंधित विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

बजट ने एक आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की कानूनी प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिऐ जो आवश्यक सब्सिडी की जरूरत है वह उपलब्ध करवाई जाऐगी। इसका स्टीक आंकडा केवल बिल को अंतिम रूप देने के बाद ही पता चलेगा तथा तब यह संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने भी विशेष रूप से उर्वरक के लिए सब्सिडी के वितरण में सुधार करने का प्रस्ताव रखा है।

इस वर्ष सब्सिडी का भुगतान 50 चयनित जिलों में सीधे किसानों के खातों में की जाऐगी। जाहिर है कि विवरण के बाद वर्तमान नीति के अनुसार काम किया जाना होगा, उर्वरक सब्सिडी पोषक तत्वों पर आधारित होगी न कि उत्पादों पर। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी तभी प्रभावी होगी जब किसानों को मृदा स्वास्थ्य कॉर्ड प्रदान किया जाऐगा जिसमें मिट्टी के स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी होती है।

पहले पहल लाभ जिसका समेकित हो रहे हैं के अलावा पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की पहल है। इस कारण खरीफ 2011 के दौरान सात लाख टन की अतिरिक्त धान की खेती हुई है। इस परिणाम से उत्साहित होकर वित मंत्री ने इस योजना के लिए आबंटन में वृद्धि करते हुऐ पिछले वर्ष के रू. 400/– करोड़ से बढ़ाकर रू. 1,000/– करोड़ कर दी है। इसी प्रकार 60,000 दालों के गांवों की परियोजना को जारी रखा गया है क्योंकि इससे पहले से ही लगभग 18 लाख टन दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

बजट में सिंचाई, कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए पर्याप्त अतिरिक्त धन आबंटित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिऐ एक नऐ राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया जा रहा है। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि वर्तमान में उत्पादन और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों के बीच बेमेल हैं। सिंचाई और जल संसाधन वित्त कंपनी की स्थापना करने का भी प्रस्ताव दिया गया है जोकि अच्छा है, बशर्ते यह जन कुण्डों, अपशिष्ट रीसाइक्लिंग और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित हो।

वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि तटीय जलीय कृषि के लिए रू. 500/– करोड़ की लागत से एक कार्यक्रम की शुरूआत की जाऐ। पिछले अनुभव के आधार पर यह सुनिशिचित किया जाना चाहिऐ कि केवल कम बाहरी सतत इनपुट जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा मिलना चाहिऐ, अन्यथा वहां तट के साथ गंभीर पर्यावरणीय समस्याऐं भूजल प्रदूषण सहित का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने विभिन्न उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की छूट की घोषणा की है जिससे निजी क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आधुनिक साइलों के निर्माण के माध्यम से दो लाख टन अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

आशा है कि बहुत जल्द ही पांच लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाई जाऐगी, क्योंकि 1 फरवरी, 2012 तक सरकार के पास गेहूँ का 23.4 और चावल का 31.8 लाख टन स्टॉक था। अगले दो महीनों के दौरान सरकार को कम से कम 25 मिलियन टन गेहूँ और 20 मिलियन टन चावल खरीदना होगा।

यह स्पष्ट है कि समय की लंबी अवधि से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा की भरपाई एक या दो साल में पूरी नहीं की जा सकती। अगर हमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना है तो कम से कम 50 लाख टन अनाज के सुरक्षित भंड़ारण के लिऐ एक आधुनिक अनाज भंडारण संरचनाओं के विकेन्द्रीकृत ग्रिड़ की आवश्यकता पड़ेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण (2011–12) से पता चलता है कि हालांकि कृषि और संबंधित क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 2004–05 की कीमतों में पिछल वर्ष की 14.5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 13.9 प्रतिशत ही रह गया है, फिर भी ग्रामीण भारत में रोजगार उपलब्ध कराने में कृषि प्रथम स्थान पर है। एन.एस.एस.ओ. रिपोर्ट के अनुसार हर 1,000 लोग जो कार्य कर रहे हैं उनमें से 750 लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर। इस प्रकार कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कम योगदान रोजगार के लिए बढ़ती जिम्मेदारी के साथ है।

हमारी आबादी युवा है तथा सन् 2020 तक भारत सबसे युवा राष्ट्र हो जाएगा। दुर्भाग्य से बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित किया जा सके, जो कि आज कि सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना भारतीय कृषि को करना पड़ रहा है। एक खाद्य सुरक्षा विधेयक जो अनाज की निर्धारित मात्रा के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करे अधिनियम के साथ, उत्पादकता बढ़ाने के लिऐ ध्यान केन्द्रीत करे और छोटे से खेत से कृषि की लाभप्रदता और स्थिरता सुनिश्चित करे और भी जरूरी हो गया है।

हम आयतित अनाज के आधार पर एक खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू नहीं कर सकते। इसलिऐ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिऐ शिक्षित युवा महिलाओं और पुरूषों के बीच रूची पैदा करने की जरूरत है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से महिला किसानों को समर्थन देने के लिऐ कदम उठाऐ गऐ हैं। इसी तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता युवा किसानों के लिऐ है।

अंतिम विश्लेषण में, कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रमों को डिजाइन और लागू करने का नेतृत्व करना होगा। अंत में एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा कि अगर कृषि गलत ओर जा रही है तो हमारे देश में कुछ भी सही नहीं हो सकता।

भारत के राष्ट्रीय बजट का वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोकसभा में अनावरण किया गया। बजट 2012.13 एक सुस्त विकास दर की पृष्ठभूमि में आता है – पिछले तीन साल में सबसे कम – 6.5 से नीचा – उद्योगों द्वारा प्रमुख मांगों पर राजनीतिक सहमति की कमी तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस का खराब प्रर्दशन जो कि सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कर रही है।

दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्री ने भी यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पुनरूद्धार की ओर अग्रसर है क्योंकि कृषि और सेवाऐं एक सभ्य गति से बढ़ रहे हैं। कृषि सरकार के लिऐ प्राथमिकता का आधार होना जारी है। कृषि और सहयोग के लिऐ कुल योजना परिव्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और इसे 2011–12 में रू. 17,123 करोड़ से बढ़ाकर 2012–13 में रू. 20,208 करोड़ कर दिया गया है। कई अच्छी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को जारी रखने के लिऐ अनुमति दी गई है। कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए लघु वित्त पोषण की घोषणा की गई है, लेकिन किसानों को मौजूदा ज्ञान के हस्तांतरण की बाधाओं को दूर करने का कोई जिक्र नहीं है।